

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 291 ]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 20 मई 2010—वैशाख 30, शक 1932

#### संसदीय कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 20 मई 2010

क्र. 664-एफ(3)20-10-दो-अड़तालीस.—मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 9 के साथ पठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विधान मंडल यात्रा भत्ता नियम, 1957 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

#### संशोधन

उक्त नियमों में—

(1) नियम 3 में,—

- (क) उपनियम (1-ग) में, अंक तथा शब्द “250 रुपये” तथा “400 रुपये” के स्थान पर, अंक तथा शब्द “400 रुपये” तथा “600 रुपये” क्रमशः स्थापित किए जाएं;
- (ख) उपनियम (2) में, शब्द “चार सौ” के स्थान पर, शब्द “छह सौ” स्थापित किए जाएं;
- (ग) उपनियम (3) में, शब्द “पांच सौ” के स्थान पर, शब्द “सात सौ पचास” स्थापित किए जाएं;

(2) नियम 4 के उपनियम (1) में, शब्द “चार सौ” के स्थान पर, शब्द “छह सौ” स्थापित किए जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश गुप्ता, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 20 मई 2010

क्र. 665-एफ (3) 20-10-दो-अड़तालीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 664-एफ (3) 20-10-दो-अड़तालीस, दिनांक 20 मई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश गुप्ता, उपसचिव.

Bhopal, the 20th May 2010

No. 664-F.(3) 20-10-Two-XLVIII.—In exercise of the powers conferred by Section 9 read with Section 6 of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhinyam, 1972 (No. 7 of 1973), the State Government, hereby makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Legislature Travelling Allowance Rules, 1957, namely:—

#### AMENDMENT

In the said rules—

(1) in rule 3,—

- (a) in sub-rule (1-C), for the words and figures “Rs. 250/-” and “Rs. 400/-”, the words and figures “Rs. 400/-” and “Rs. 600/-” shall respectively be substituted;
- (b) in sub-rule (2), for the words “four hundred”, the words “six hundred” shall be substituted;
- (c) in sub-rule (3), for the words “five hundred”, the words “seven hundred fifty” shall be substituted;

(2) in sub-rule (1) of Rule 4, for the words “four hundred”, the words “Six hundred” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAJESH GUPTA, Dy. Secy.